धनराशि के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण हेतु, पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को प्रदान की गई सहायता राशि और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार किया गया व्यय इस प्रकार है :—

1. विशेष केन्द्रीय सहायता

वर्ष	भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार व्यय
1987–88	5735.34	5387.00
1988–89	6201.27	6051.00
1989–90	6930.89	8170.00

नोट:—वर्ष 1989–90 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा न केवल उस वर्ष के दौरान विमुक्त विशेष सहायता राशि का ही उपयोग किया गया अपितु पिछले वर्षों की व्यय न की गई राशि का भी उपयोग किया गया ।

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में प्रदान की गई सहायता

वर्ष	भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि	व्यय
1987-88	986.75	986.75
1988-89	615.76	615.76
1989-90	1094.05	1094.05

मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि उन्होंने राज्य में कार्यान्वयन तंत्र को, ठीक कर दिया है ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग हो सके । मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए सहायता अनुदान का उपयोग कर लिया है। योजनाओं की एक सूची संलग्न है । (देखिए परिशिष्ट 157, अनुपत्र सं० 10)

बेरोजगारों को बेरोजगारी-भत्ते का दिया जाना

281. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने अथवा उन्हें रोजगार की गारंटी देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) केन्द्र सरकार का रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार-व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने अथवा रोजगार की गारन्टी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्रम-न्यायालयों में लम्बित पड़े मामले

282. **श्री अजीत जोगी** :क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न श्रम न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों की राज्य वार संख्या कितनी है ;

(ख) ये मामले कब से लम्बित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन प्रबन्धकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जिन्होंने कर्मकारों को कानूनी सहायता प्रदान नहीं की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों के समक्ष 31-12-90 तक लम्बित पड़े औद्योगिक विवादों और आवेदनों की संख्या 11,997 थी । राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की सूचनाओं के अनुसार उसके द्वारा गठित श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों के समक्ष 30-6-90 तक लम्बित पड़े औद्योगिक विवादों और आवेदनों की संख्या 1,94,162 थी । केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण और राज्य श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक अधिकरणों के समक्ष लंबित पड़े औद्योगिक विवादों और आवेदनों को दिखाने वाला ब्यौरा क्रमश: विवरण I और II में दिया गया है ।

(ख) औद्योगिक विवादों और आवेदनों का वर्ष-वार ब्यौरा दिखने वाला ब्यौरा विवरण III में दिया गया है ।

इन मामलों के निपटान में देरी के कारण श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरणों का कम संख्या में होना भारी कार्य दबाव, पीठासीन पदाधिकारियों के रिक्त पदों को भरने में यदा कदा विलम्ब, अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति जैसी प्रक्रियात्मक बाधा में, सूचना प्रदान करने हेतु स्थान, वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश या न्यायालय के बाहर समझौतों के प्रयास आदि शामिल हैं ।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन प्रबंधन द्वारा कर्मकारों को विधि सहायता दिलाने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है ।

विवरण–I

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों के समक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन 31–12–90 तक लंबित पड़े औद्योगिक विवादों और आवेदनों की संख्या

क्रमांक	के०स औ० अधिकरण का नाम	वर्ष के अंत तक लम्बित पड़े औद्योगिक विवादों की संख्या	वर्ष के अंत तक लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या	वर्ष के अंत तक लंबित पड़े औ वि और आवेदनों का कुल योग
1		2	3	4
1.	आसनसोल	89	15	104
2.	बंगलौर	196	0	196
3.	बंबई सं० 1	156	552	708
4.	बंबई सं० 2	178	2424	2602
5.	कलकत्ता	280	217	4978
6.	चंडीगढ़	545	693	1238

1	2	3	4	5
7.	धनबाद सं० 1	483	110	593
8.	धनबाद सं० 2	406	34	440
9.	जबलपुर	793	1577	2370
10.	कानपुर	721	823	1544
11.	नई दिल्ली	419	1286	1705
	कुल :	4266	7731	11997

विवरण–II

राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित श्रम न्यायालयों, औद्योगिक अधिकरणों और औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों के समक्ष, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन 30 जून, 1990 तक लंबित पड़े औद्योगिक विवादों और आवेदनों की संख्या

क्रमांक	राज्यों/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष के अंत तक लंबित पड़े औद्योगिक विवादों की संख्या	वर्ष के अंत तक लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या	वर्ष के अंत तक लम्बित पड़े औ० वि० और आवेदनों की कुल संख्या
	1	2	3	4
	क्षेत्र : राज्य			
1.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
2.	आसाम	291	98	389
3.	बिहार	686	586	1272
4.	चंडीगढ़	826	139	965
5.	दमन और दीव	0	0	0
6.	दिल्ली	18815	19158	37973
7.	गोवा	174	72	246
8.	गुजरात	39571	668	40239
9.	हिमाचल प्रदेश	217	104	323
10.	हरियाणा	4400	2512	6912
11.	केरल	1289	914	2203
12.	कर्नाटक	9716	3287	13003
13.	लक्ष्यदीप	0	0	0
14.	मेघालय	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	10415	18580	29995
16.	मणीपुर	0	0	0

1	2	3	4	5
17.	मध्य प्रदेश	1994	991	2985
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	उड़ीसा	611	1237	1848
21.	पंजाब	7039	8469	15508
22.	पांडिचेरी	41	54	95
23.	राजस्थान	6488	3853	10341
24.	सिक्किम	0	0	0
25.	तमिलनाडु	5977	6337	12314
26.	उत्तर प्रदेश	10432	995	11427
27.	पश्चिम बंगाल	2368	184	2552
	कुल* :	121350	68238	189588

*नोट–शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

1	2	3	4	5
क्षेत्र : केन्द्रीय				
1.	आसाम	20	0	26
2.	केरल	68	471	539
3.	उड़ीसा	123	52	175
4.	पंजाब	0	64	64
5.	राजस्थान	340	30	370
6.	उत्तर प्रदेश	17	3383	3400
	कुल :	574	4000	4574
	कुल जोड़ :	121924	72238	194162

विवर –III

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय के समक्ष 31-12-90 तक लंबित औद्योगिक विवादों और आवेदनों का ब्यौरा

एक वर्ष तक	एक से दो वर्षों के मध्य	दो से तीन वर्षों के मध्य	तीन वर्षों से ज्यादा	कुल
4,980	3,640	1,123	2,254	11,997

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा गठित श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों के समक्ष 30-6-90 तक लंबित पड़े औद्योगिक विवादों और आवेदनों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

एक वर्ष तक	एक से दो वर्षों के मध्य	दो से तीन वर्षों के मध्य	तीन वर्षों से ज्यादा	कुल
72,321	43,546	33,664	43,359	1,92,890 *

* इन आंकड़ों में बिहार राज्य शामिल नहीं हैं ।

283. [Transferred to the 4th March, 1991]

भारी उद्योग विभाग द्वारा उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति

284. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी 1991 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "33 डी. एच. आई. यूनिट्स में नोट एचीव आउटपुट टार्गेट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारी उद्योग विभाग के उद्योगों के लिए वर्तमान वर्ष के लिये उत्पादन के कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो ये निर्धारित लक्ष्य क्या-क्या थे और दिसम्बर, 1990 के अंत तक इन एककों द्वारा कुल कितना उत्पादन किया गया ; और

(घ) क्या उत्पादन की वर्तमान गति को देखते हुए निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है ; यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के 33 निर्माणकारी उपक्रमों ने अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान अन्तिम रूप से 5057 करोड़ रु. का उत्पादन प्राप्त किया है जबकि इस अवधि के लिए 5895 करोड़ रुपये का उत्पादन लक्ष्य रखा गया था ।

(घ) 33 एककों द्वारा पूरे वर्ष 1990-91 के दौरान 8384 करोड़ रुपये का उत्पादन प्राप्त करने की आशा है जो 8616 करोड़ रुपये के लक्ष्य का लगभग 97% होगा और वर्ष 1989-90 के दौरान प्राप्त उत्पादन से लगभग 12% अधिक होगा ।

Acquiring of Asiasat channel and cable TV network

285. SHRI S. MADHAVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem published in the Times of India dated 5-1-91 under the caption "Move to acquire Asiasat Channels"; if so, what steps are being taken to safeguard our interests;

(b) what are the steps taken to prevent the private businessmen from running any of the channels on Asiasat;

(c) what steps are taken by Government to prevent private T.V. companies located in on offshore place from planning their programme to India;

(d) whether the inter-departmental committee set up to study the various aspects of setting up of cable T.V. networks